दीपक कुमार सक्सेना होंगे जनसंपर्क आयुक्त

खाड़े इंदौर कमिश्नर, इंदौर सहित पांच जिलों के कलेक्टर बदले

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल 8 सितंबर, राज्य सरकार ने सोमवार देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। भारतीय पुलिस सेवा के 20 अफसर के तबादलों के 5 घंटे बाद राज्य सरकार ने इंदौर, जबलपुर सहित पांच जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं।

अब तक सचिव और आयुक्त जनसंपर्क की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को इंदौर संभाग का आयुक्त पदस्थ किया गया है, वहीं अब तक आयुक्त इंदौर संभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे दीपक सिंह को अब सचिव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल सदस्य किया गया है। आयुक्त नगर पालिका निगम इंदौर की जिम्मेदारी संभाल रहे शिवम वर्मा को कलेक्टर इंदौर की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि संभावना थी लंबे समय से जबलपुर कलेक्टर के पद पर पदस्थ दीपक कुमार सक्सेना को अब आयुक्त जनसंपर्क का दायित्व सौंपा गया है. सक्सेना को

आयुक्त जनसंपर्क बनाने के अटकलें लंबे समय से चल रही थी आखिरकार अब उस पर विराम लग गया है. इधर कलेक्टर इंदौर की जिम्मेदारी संभाल रहे आशीष सिंह को भी बड़ा दायित्व दिया गया है ,अब वह आयुक्त उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. ताजा फेरबदल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 अफसर प्रभावित हुए हैं. आगर मालवा जिले के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को उनके बेहतर काम का बड़ा इनाम मिला है, अब वह जबलपुर जिले में कलेक्टर पदस्थ किए गए हैं. वही कटनी जिले के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को अब आयुक्त नगर पालिका निगम इंदौर पदस्थ किया गया है. इधर बड़वानी जिले की कलेक्टर गुंजा सनोवर को कलेक्टर के दायित्व से हटा दिया गया है और उन्हें उपसचिव मंत्रालय पदस्थ कर दिया गया है , वहीं दूसरी तरफ मुख्य सचिव कार्यालय में उपसचिव के पद पर पदस्थ आशीष तिवारी को कटनी जिले का कलेक्टर पदस्थ किया गया है जयति सिंह सीईओ जिला पंचायत उज्जैन को बड़वानी जिले की कमान सौंपी गई है . इसी क्रम में प्रीति यादव आयुक्त नगर पालिका निगम जबलपुर को अब आगर मालवा जिले का कलेक्टर बनाया गया है.

- डॉ. सुदाम खाड़े सचिव व आयुक्त जनसंपर्क- आयुक्त इंदौर संभाग
- दीपक सिंह आयुक्त इंदौर संभाग- ओएसडी सहसचिव राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
- अभिषेक सिंह ओएसडी सह सचिव मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल- सचिव गृह विभाग
- आशीष सिंह कलेक्टर इंदौर- ओएसडी सह आयुक्त उज्जैन संभाग
- दीपक कुमार सक्सेना कलेक्टर जबलपुर- ओएसडी सह आयुक्त जनसंपर्क व एमडी मप्र माध्यम अतिरिक्त प्रभार
- शिवम वर्मा आयुक्त नगरनिगम इंदौर-कलेक्टर जिला इंदौर
- राघवेंद्र सिंह कलेक्टर आगर मालवा-कलेक्टर जबलपुर
- दिलीप कुमार यादव कलेक्टर कटनी-आयुक्त नगर निगम इंदौर
- गुंचा सनोवर कलेक्टर बड़वानी- उप सचिव मध्य प्रदेश शासन
- आशीष तिवारी उप सचिव मुख्य सचिव कार्यालय- कलेक्टर जिला कटनी
- जयति सिंह सीईओ जिला पंचायत उज्जैन- कलेक्टर जिला बड़वानी
- प्रीति यादव आयुक्त नगर निगम जबलपुर-कलेक्टर आगर मालवा
- डॉक्टर परीक्षित संजय राव झाड़े अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र भोपाल- सीईओ इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर
- रामप्रकाश अहिरवार सीईओ इंदौर विकास प्राधिकरण- आयुक्त नगर निगम जबलपुर

आज संबल योजना की राशि अंतरित करेंगे मुख्यमंत्री

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 सितम्बर को मंत्रालय भोपाल में संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता के 7953 प्रकरणों में 175 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में अंतरित करेंगे. पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहेंगे. संबल योजना के अंतर्गत प्रारम्भ से अब तक 7 लाख 60 हजार 866 प्रकरणों में 7046 करोड़ रुपये से अधिक के हितलाभ वितरित किये जा चुके हैं. संबल योजना, प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है.

बैरसिया में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ

बैरसिया, 8 सितंबर. सोमवार को हरसिद्धि कॉलोनी निवासी अभिषेक शर्मा के यहां श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ. इसके पहले भव्य कलश यात्रा रेंज चौराहे दुर्गा जी के मंदिर से प्रारंभ होकर कथा स्थल पहुंची.

भव्य कलश यात्रा में रथ पर सवार श्रीमद्भागवत कथा बाचक पंडित प्रफुल्ल नागर (छोटे बापू) एवं सिर पर कलश लेकर चल रहीं माताओं बहनों का नगर के धर्मप्रेमी बन्धुओ ने कई जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया. इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण परिषद के पूर्व अध्यक्ष नन्द किशोर पाठक , समाज सेवी दीपक दुबे, वरिष्ठ भाजपा नेता लालाराम साहू, ब्राह्मण परिषद अध्यक्ष जगदीश गूदेनिया , गोविंद लाहोटी, प्रदीप दुबे, एडवोकेट ब्रजेश चौकसे, कमलेश स्वामी, रमेश दुबे, पार्षद रणधीर सिंह राजपूत, पार्षद रज्जूलाल कुशवाह, पार्षद सोनू कुशवाह, विजय गुप्ता, त्रिलोकी शर्मा, जितेंद मिश्रा, बृजेंद्र यादव, ग्रिजेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे.

आज अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है सरकार

▸ निकाय अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदान कराने का मामला

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 8 सितंबर. प्रदेश में नगरीय निकायों में अध्यक्ष का चुनाव महापौर की तर्ज पर सीधे मतदान से कराने के लिये मंगलवार को राज्य सरकार अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है.

कैबिनेट मंगलवार को प्रात: 11.15 बजे मंत्रालय में होगी, जिसमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग इस संबंध में अध्यादेश का मसौदा पेश कर सकता है, जिस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है. दरअसल प्रदेश में वर्ष 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए प्रदेश में निकायों के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदान से कराने के बजाय चुने हुए पार्षदों के बीच से कराने का निर्णय लिया था.

लेकिन अब भाजपा सरकार एक बार फिर कमलनाथ सरकार के निर्णय को पलटने जा रही है, जिससे प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदान से होगा. प्रदेश में 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद है. एक पखवाड़ा पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान इस संबंध में मंशा साफ कर दी थी.

> पहले कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी दी जायेगी, उसके बाद राज्यपाल की अनुमति से इसे लागू किया जाएगा. उसके बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा. अध्यादेश को स्थायी रूप से कानून का रूप देने के लिये 6 माह के भीतर या अगला विस सत्र जो भी पहले हो, उसमें पारित कर इसे अधिनियम के रूप में लागू करना जरुरी होता है.

पीएम मित्रा पार्क से 3 लाख को मिलेगा रोजगार

पीएम मोदी 17 को बदनावर के भैसोली में करेंगे पार्क का शिलान्यास

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 8 सितंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को मप्र आएंगे. प्रधानमंत्री मोदी धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम भैसोला में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ, सेवा पखवाड़ा तथा यहां देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश का धार, झाबुआ, उज्जैन और निवाड़ का खरगोन, बड़वानी सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से मप्र में कॉटन आधारित बड़े इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होने जा रही है, यह देशभर में मंजूर 7 पीएम मित्रा पार्क में से पहला पार्क है जिसका भूमि-पूजन होने जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क से 1 लाख प्रत्यक्ष और

2 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष, कुल मिलाकर 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को मंत्रालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 17 सितंबर को ग्राम भैसोला, बदनावर जिला धार में आगमन सहित वहां आयोजित अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितम्बर को स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ सुमन सखी चैटबॉट को लांच करेंगे. पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे. जनजातीय स्व-सहायता समूहों से स्वदेशी उत्पादों की खरीद और यूपीआई से भुगतान, सेवा पर्व एवं आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ करेंगे.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा की विस्तार से जानकारी देकर कहा कि सभी अधिकारी आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दें. आयोजन स्थल पर कैम्प करें और वहीं से आपसी समन्वय एवं सहयोग से व्यवस्थाओं को अंजाम दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिले आवश्यक तैयारी कर लें. महिला प्रतिभागियों को आयोजन स्थल तक पहुंचने में कोई कठिनाई न होने पाए.

अवैध कालोनी की जांच जारी

▸ कोकता में प्रशासन स्तर पर की जा रही पड़ताल

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 8 सितम्बर. अनंतपुरा कोकता में सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध कालोनी को लेकर प्रशासन स्तर पर पड़ताल जारी है. सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि कान्हासैया में स्थित लेक सिटी नाम की यह कालोनी का टीएंडसीपी से भी प्रमाणित नहीं है. यह कॉलोनी हुजूर अनुभाग के तहत आती है.

कान्हासैया स्थित अवैध कॉलोनी में च्मछलीज् कनेक्शन की जानकारी अधिकारियों तक पहुंची है. इसके साथ ही कॉलोनी में एक ही समुदाय के लोगों को प्लॉट बेंचे जाने की भी बात सामने आई है. इस पर प्रशासन स्तर पर जांच भी की जा रही है. जांच में अधिकारियों को यह सभी प्रमाण मिलते हैं तो मछली परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है. इस क्षेत्र में मछली परिवार का दखल अवैध कालोनियों में बना होने की जानकारी पूर्व से आ रही है.

> पशुपालन विभाग की कोकता में 65 एकड़ जमीन के सीमांकन के दौरान प्रशासनिक की जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है. इस कलोनी में अब तक कई प्लॉट काट कर बेंचे जाने की जानकारी सामने आई है. हुजूर एसडीएम द्वारा इस संबंध में तहसीलदार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जांच रिपोर्ट सामने आने बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

रेल अस्पताल को फिजियोथेरेपी मशीन भेंट

दिवंगत की पत्नी ने दान की एक लाख की मशीन

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 8 सितम्बर. विश्व फिजियोथैरपी दिवस पर मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल में सोमवार को एक भावपूर्ण आयोजन के अंतर्गत स्व. एम. अंजनेयुलु की स्मृति में उनकी पत्नि राजलक्ष्मी (रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी) द्वारा लगभग एक लाख रूपये की फिजियोथेरेपी मशीनें सहित मरीजों के उपयोग हेतु भेंट की गयी. यह पहल न केवल सेवा भावना का प्रतीक है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कार्मिकों के प्रति सम्मान की भावनाओं को भी दर्शाती है.

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ अजय डोगरा, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रशासनिक डॉ रचना श्रीवास्तव सहित चिकित्सालय स्टाफ एवं स्व.एम.अंजनेयुलु के परिजन उपस्थित रहे. वरिष्ठ मंडल

वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल में यह योगदान मरीजों की सुविधा के लिये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा एवं सेवा के क्षेत्र में एक प्रेरणास्पद उदाहरण प्रस्तुत करेगा.

कर्मयोगी आईगाट पर सीखे सप्ताह में करें पंजीयन : सीईओ जिला पंचायत

भोपाल, 8 सितम्बर. सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी की अध्यक्षता में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक सोमवार को संपन्न हुई. बैठक में एडीएम अंकुर मेश्राम, पी.सी. शाक्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे. सीईओ जिला पंचायत ने 15 से 19 सितम्बर तक आयोजित कर्मयोगी आईगाट पर सीखे सप्ताह में प्रत्येक शासकीय सेवक को अनिवार्य रूप से पंजीयन कर प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए.

भोपाल. राजधानी के एयरपोर्ट रोड़ पर नो पार्किंग जोन में चार पहिया वाहनों को खड़ा किया जा रहा है. इस रोड़ पर संचालित अस्पतालों में जाने के लिए वाहन चालक अपने वाहनों को मुख्य सड़क पर ही खड़ा कर रहे हैं. जिससे कि जाम की समस्या लगातार बनी हुई है.

शिक्षकों को वनमाली शिक्षक सम्मान से किया सम्मानित

▸ आरएनटीयू ने रायसेन में आयोजित किया सम्मान समारोह

भोपाल, 8 सितंबर. रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा रायसेन जिले के लगभग 150 शिक्षकों को वनमाली शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रायसेन के पुलिस अधीक्षक पंकज पांडेय, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी डी.डी. रजक, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉ. संगीता जौहरी, विश्वविद्यालय के डीन एडमिशन, डॉ. अनिल तिवारी, डायरेक्टर एडमिशन अक्षत शुक्ला आईसेक्ट के संतोष उपाध्याय एवं आईसेक्ट रायसेन के जिला प्रबंधक रामपाल उपस्थित रहे.

अपने उद्बोधन में एसपी पांडेय ने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा कि वे भी शिक्षक बनना चाहते थे, किंतु भाग्य ने उन्हें एक अलग राह पर अग्रसर किया. उन्होंने कहा कि शिक्षक का योगदान समाज निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है और उनका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है. डीईओ रजक ने कहा कि शिक्षक ही भविष्य की नींव रखते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं. उन्होंने शिक्षकों को बधाई देते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रेरित करते रहने का आह्वान किया.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +91 44 4564 4000, फैक्स : +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	130790327	संपत्ति पर ऋण	01.09.2025	रु. 32,48,473.58/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. हेमराज साहू 2. सतगुरु किराना स्टोर 3. तारा साहू

संपत्ति का पता : आठ व्यावसायिक दुकानों का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल संख्या G-1 से G-8, दूसरी मंजिल, क्षेत्रफल 159.81 वर्ग मीटर (दुकान सं. जी-01 क्षेत्रफल 32.99 वर्ग मीटर, दुकान सं. जी-02 क्षेत्रफल 23.23 वर्ग मीटर, दुकान सं. जी-03 क्षेत्रफल 23.60 वर्ग मीटर, दुकान सं. जी-04 क्षेत्रफल 16.26 वर्ग मीटर, दुकान सं. जी-05 क्षेत्रफल 23.23 वर्ग मीटर, दुकान सं. जी-06 क्षेत्रफल 16.07 वर्ग मीटर, दुकान सं. जी-07 क्षेत्रफल 13.47 वर्ग मीटर एवं दुकान सं. जी-08 क्षेत्रफल 10.96 वर्ग मीटर) खसरा सं. का भाग 41/1/4/2, गौरीक टावर, शिव नगर, गाँव भानपुर, नई कृषि उपज मंडी रोड, पीएच नंबर 21, वार्ड नंबर 73/73, तहसील हुजूर, ज़िला- भोपाल, मध्य प्रदेश-462038, जिसकी सीमा इस प्रकार है- पूर्व- विक्रेता संपत्ति, पश्चिम- खुली जगह, फिर 80 फ़ीट रोड, उत्तर- खुली जगह, फिर संपत्ति रमेश शमा, दक्षिण- खुली जगह, फिर पेट्रोल पंप.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी /-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
दिनांक : 9.9.2025
स्थान : भोपाल

निर्देश | समाधान ऑनलाइन में सीएम ने कलेक्टरों को दी नसीहत

सभी कलेक्टर डिलेवरी सिस्टम को मजबूत करें

निर्देश — समाधान ऑनलाइन में सीएम ने कलेक्टरों को दी नसीहत

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 8 सितंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी कलेक्टर्स को डिलेवरी सिस्टम मजबूत करने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि यदि डिलेवरी सिस्टम कमजोर है, तो फिर योजनाओं का लाभ न तो समय पर मिलेगा और न ही जरूरतमंद तक पहुंचेगा. नागरिकों के काम समय पर हों और उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिये यहां-वहां भटकना न पड़े, यह हर हाल में सुनिश्चित करें. उन्होंने कलेक्टरों से सवाल किया है कि यदि आवेदकों की समस्याएं रूटीन कोर्स में जिला स्तर पर ही निराकृत हो जाएं, तो फिर आवेदकों को सीएम हेल्पलाईन में शिकायत करने की नौबत ही नहीं आएगी.

यह नसीहत उन्होंने सोमवार को मंत्रालय से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान दी. सीएम ने समाधान ऑनलाईन में आए प्रदेश के 12 जिलों के विभिन्न श्रेणी के प्रकरणों की सीधी सुनवाई की और आवेदकों से रू-ब-रू बात कर उनके मामले के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिक सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का तय समय-सीमा में ही निराकरण किया जाये. यदि कोई मसला समाधान ऑनलाइन तक आ रहा है, तो यह गंभीर विषय है. सुशासन के तहत स्थानीय स्तर पर ही आवेदकों को उनकी समस्या का निदान मिल जाये, यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर, एसपी अपने जिलों में नागरिकों को बेहतर प्रशासन एवं व्यवस्थाओं को जनहितैषी बनाकर उनका विश्वास हासिल करें. भिण्ड जिले के रामरतन ने उसकी खसरा ऑनलाइन अपडेट नहीं करने की शिकायत की थी. बताया गया कि इस मामले में देरी के लिए जिम्मेदार 4 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है.

> बालाघाट जिले के झुन्ना लाल पनकू ने वन विभाग द्वारा उसे बांस कटाई की मजदूरी पांच साल से न देने की शिकायत की थी. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए. एसीएस वन अशोक वर्णवाल ने बताया कि आवेदक को मजदूरी की राशि दे दी गई है. देरी के लिए डीएफओ को नोटिस दिया है.

> **सीएमएचओ देवास की रोकी वेतनवृद्धि**
> देवास जिले की प्रियंका पत्नी हिमांशु दीक्षित ने कहा कि उसे प्रसूति सहायता के 12 हजार रुपए नहीं मिले, तो उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी. इस मामले में विलम्ब के लिए जिम्मेदार आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटर और तत्कालीन संविदा लेखापाल की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही जिला चिकित्सालय के सहायक अस्पताल प्रबंधक की दो वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं. वर्तमान संविदा लेखापाल को शोकॉज नोटिस जारी कर 10 दिन का वेतन काटा गया है.

समक्ष न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय, भोपाल
प्रकरण क्र. एम.जे.सी.जी.डब्ल्यू. 29/2025
रूबी बाथम व अन्य ...आवेदिका
विरुद्ध
सर्वसाधारण ...अनावेदक
प्रति
सर्वसाधारण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वादीगण द्वारा मेरे समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 29 उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया. आपको इस न्यायालय में तारीख 23/9/2025 को दिन में 11 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है. आप स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं, पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हों या न हों, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों की लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें. आपको सूचित किया जाता है कि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई में और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा. यदि उक्त दिनांक को अवकाश घोषित हो जावे तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस में की जावेगी.

आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया.

सील
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय, भोपाल

SMFG IndiaCredit Pragati Ki Nayi Pehchaan
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय- 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधान के साथ पढ़ा जाए. इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को बेचा जाएगा. नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है', नीचे उल्लिखित बकाया राशि और वसूली की तिथि तक उस पर आगे ब्याज और अन्य खर्चों की वसूली के लिए, जो कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) / सुरक्षित लेनदार को नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और गारंटर(ओं) से देय है. आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा (EMD) और EMD जमा की अंतिम तिथि भी नीचे उल्लिखित है-

उधारकर्ता/गारंटर/ ऋण खाता	मांग नोटिस दिनांक और राशि कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य, ईएमडी और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि और समय
1. श्री राम आयुर्वेद 2. महेन्द्र सैनी 3. सुन्दर बाई अमरेश खाता नं. 213021511120816	23.11.2023 रु. 40,25,199 (रु. चालीस लाख पच्चीस हजार एक सौ निन्यानवे मात्र) भौतिक कब्जा	आरक्षित मूल्य : रु. 2324523/- (रुपये तेईस लाख चौबीस हजार पांच सौ तेईस मात्र) ईएमडी : रु. 2,32,452.3/- (रु. दो लाख बबीस हजार चार सौ बावन और तीन पैसा मात्र) ईएमडी जमा की अंतिम तिथि : 25/09/2025	तिथि : 26/09/2025 समय : सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

अचल संपत्ति का विवरण- एक आवासीय फ्लैट संख्या S-02 (द्वितीय तल) का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है, अर्थात 55.76 वर्ग मीटर, भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए), भोपाल, मध्य प्रदेश के पट्टे पर निर्मित बहुमंजिला इमारत में स्थित, प्लॉट संख्या 25-सी (कुल क्षेत्रफल -2800 वर्ग फुट) इंद्रपुरी सी-सेक्टर, (बीडीए कॉलोनी), नगर निगम वार्ड क्रमांक 67, तहसील हुजूर और जिला भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है. (पट्टा अवधि 31 मार्च, 2039 को समाप्त हो रही है, जो निम्नानुसार है- पूर्व- मकान संख्या 26, पश्चिम- मकान संख्या 24, उत्तर- मकान संख्या 34, दक्षिण-खुली भूमि फिर मुख्य सड़क.

बिक्री के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें **1) दीपक वर्मा** 9301108484; **2) श्री फ्रांसिस रोजारियो** +91-8655424523 **3) श्री अमोल संभुस-** +91 99798 8907 **4) श्री वीरेंद्रसिंह चुंडावत-** +91 9727760153 और बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www.smfgindia.com पर दिए गए लिंक को देखें.

दिनांक- 9-9-2025
स्थान- भोपाल
एसडी/-, प्राधिकृत अधिकारी-
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड